उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक – काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

बीड (महाराष्ट्र) वर्ष - 1 ला अंक - २४४ वा रविवार ६ अप्रेल २०२५ RNI TITLE CODE : MAHHIN11405/120/1/3/2024 किमत २ रुपये पन्ने - ४

विवादों में घिरे धनंजय मुंडे की मुश्किलें और बढ़ीं!

पोटगी के खिलाफ दायर याचिका सत्र न्यायालय ने की खारिज

मुंबई से जमीर काज़ी की रिपोर्ट

बीते कुछ महीनों से विवादों में फंसे राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) के नेता और पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे की मुश्किलें और गहरा गई हैं। पोटगी को लेकर पारिवारिक न्यायालय के निर्णय के खिलाफ मुंडे द्वारा दायर की गई याचिका को मुंबई के मझगांव सत्र न्यायालय ने शनिवार को खारिज कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने करुणा शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, बांद्रा पारिवारिक न्यायालय द्वारा उन्हें और उनकी बेटी शिवानी को प्रति माह 2 लाख रुपये गुज़ारा भत्ता देने का आदेश बरकरार रखा। इसके चलते अब धनंजय मुंडे के पास हाईकोर्ट में अपील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। यदि वे ऐसा नहीं करते, तो उनकी विधायक सदस्यता पर भी खतरा मंडरा सकता है।

बांद्रा पारिवारिक न्यायालय की न्यायाधीश एस. बी. जाधव ने 28 फरवरी को इस मामले में फैसला सुनाया था। इसमें करुणा मुंडे को उनकी पहली पत्नी मानते हुए उन्हें हर महीने 1 लाख 25 हजार और बेटी शिवानी के लिए 75 हजार रुपये पोटगी देने का आदेश दिया गया था।

मुझसे शादी करने वाले को दी गई थी 20 करोड़ की पेशकश

शनिवार को करुणा शर्मा ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि जो भी उन्हें प्रेम में फंसा कर शादी करेगा, उसे धनंजय मुंडे द्वारा 20 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी। उन्होंने यह आरोप लगाते हुए मुंडे समेत घनवट, पुरुषोत्तम केंद्रे और तेजस ठक्कर जैसे लोगों के नाम भी लिए। करुणा शर्मा ने यह भी बताया कि उन्हें कई बड़े निर्देशकों की ओर से फिल्म में हिरोइन बनने का प्रस्ताव मिला था। उन्होंने धनंजय मुंडे पर अपनी बदनामी की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। इन आरोपों को रखते समय करुणा शर्मा मंच पर भावुक होकर रो पड़ीं।

धनंजय मुंडे की ओर से इस आदेश को चुनौती देते हुए मझगांव सत्र न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। शनिवार को अंतिम सुनवाई के दौरान करुणा शर्मा ने अदालत में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ साक्ष्य के रूप में पेश किए, जिनमें धनंजय मुंडे का हस्ताक्षरित "स्वीकृति पत्र" और अंतिम इच्छापत्र भी शामिल था।

क्या कहा गया है फैसले में?

सत्र न्यायालय ने धनंजय मुंडे की याचिका खारिज कर दी है और इस बात पर मुहर लगा दी है कि करुणा शर्मा ही धनंजय मुंडे की पहली पत्नी हैं। सुनवाई के दौरान करुणा ने धनंजय मुंडे द्वारा 8 जनवरी 1998 को वैदिक विधि से शादी करने की बात लिखे हुए पत्र को प्रस्तुत किया। इसमें यह भी उल्लेख था कि उन्होंने माता-पिता के दबाव में आकर राजश्री से दूसरी शादी की थी। हालांकि मुंडे के वकीलों ने इस पत्र को झूठा बताकर सभी दावों को खारिज करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने इन दलीलों को अस्वीकार करते हुए पारिवारिक न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा।

गौरतलब है कि दिसंबर माह में मस्साजोग के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के बाद से ही धनंजय मुंडे विवादों में घिरे हुए हैं। इस मामले में उनके कट्टर समर्थक वाल्मीक कराड का नाम सूत्रधार के रूप में सामने आया है, जिससे उनके इस्तीफे की मांग ज़ोर पकड़ने लगी थी। साथ ही, कृषि मंत्री रहते हुए फसल बीमा योजना में करोड़ों के घोटाले और कराड के साथ मिलकर हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति जुटाने के आरोप भी उन पर लगे। इसी दौरान करुणा मुंडे द्वारा पारिवारिक अदालत में दायर याचिका पर उन्हें हर महीने पावने दो लाख रुपये देने का फैसला आया, जिससे पार्टी और विरोधियों की आलोचना झेल रहे मुंडे को बजट सत्र के दूसरे दिन अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।

अर्धमसला विस्फोट प्रकरण

आरोपियों पर यूएपीए की धाराएं बढ़ाई गईं

बीड : गेवराई तहसील के अर्धमसला स्थित मस्जिद में हुए विस्फोट प्रकरण में दोनों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम) यानी आतंकवादी कृत्य के तहत धाराएं जोड़ी गई हैं। दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा १५३, १५६, १५८ तथा यूएपीए की धारा १६, १८ और १९ को जोड़ा गया है, ऐसा पुलिस ने बताया।

अर्धमसला स्थित मस्जिद में जिलेटिन का उपयोग कर विस्फोट करने की घटना घटी थी। इस प्रकरण में विजय राम गळगणे और श्रीराम अशोक सागडे — इन दोनों के खिलाफ तलवाड़ा पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा १५३, १५६ और अन्य धाराओं के अंतर्गत दिनांक ३० मार्च २०२५ को अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच पुलिस ने कोडगी को सौंपी थी। इस प्रकरण में दोनों आरोपियों को पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा १५३, १५६, १५८ और यूएपीए की धारा १६, १८, १९ को जोड़ते हुए जानकारी शनिवार को न्यायालय को दी।

दोनों आरोपियों को शनिवार दिनांक ५ अप्रैल को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दरम्यान, विस्फोट प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ यूएपीए कानून के अंतर्गत अपराध दर्ज कर, कड़ी सजा की मांग की गई है। इस संबंध में पुलिस प्रशासन को कई संगठनों, पदाधिकारियों और शिक्षाविदों ने निवेदन दिया है।

मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद, मंत्री सामंत से मुलाकात के बाद राज ठाकरे का 'यू-टर्न'!

मराठी भाषा के समर्थन में बैंकों के खिलाफ मनसे का आंदोलन स्थगित

मुंबई : बैंकों और अन्य संस्थानों में मराठी भाषा के अनिवार्य उपयोग की मांग को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) द्वारा पिछले कुछ दिनों से चल रहा जोरदार आंदोलन अब स्थगित कर दिया गया है। खुद मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को आंदोलन रोकने का आदेश दिया है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को चेतावनी दी थी कि यदि किसी ने कानून हाथ में लिया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। शनिवार सुबह मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत ने राज ठाकरे के शिवतीर्थ स्थित निवास पर मुलाकात की और बातचीत के बाद आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया। राज ठाकरे के इस फैसले पर राजनीतिक हलकों में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

शिवाजी पार्क की हुंकार और उसके बाद की कार्रवाई

गुड़ी पड़वा के दिन शिवाजी पार्क में हुई एक रैली में राज ठाकरे ने निजी कंपनियों, सरकारी और गैर-सरकारी बैंकों तथा अन्य कार्यालयों में मराठी भाषा के तत्काल उपयोग का आदेश दिया था और चेताया था कि इसका पालन न करने वालों को मनसे स्टाइल में सबक सिखाया जाएगा।

इसके बाद से पिछले दो-तीन दिनों में राज्य भर में मनसे कार्यकर्ताओं ने बैंकों और संस्थानों में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगी थी। बैंक कर्मचारियों की यूनियन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज कराई थी।

सरकार की बैठक में मनसे को भी किया जाएगा शामिल

मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत ने आज सुबह राज ठाकरे से लंबी बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार बैंकों और निजी कंपनियों के अधिकारियों के साथ मराठी भाषा के उपयोग पर एक बैठक आयोजित करेगी, जिसमें मनसे नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा।

इसके बाद शनिवार शाम मनसे की ओर से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने की घोषणा की गई। राज ठाकरे ने आंदोलन में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि अब यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और मराठी भाषा के लिए आगे की कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। इसलिए आंदोलन को फिलहाल रोक दिया गया है और कार्यकर्ताओं को भविष्य में आंदोलन न करने की सलाह दी गई है।

उद्धव ठाकरे गुट की रणनीति – परप्रांतीयों को मराठी सिखाएंगे

मुंबई महानगरपालिका और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों से पहले मराठी भाषा का मुद्दा फिर से केंद्र में आ गया है। मनसे द्वारा आंदोलन शुरू किए जाने के बाद अब उद्धव ठाकरे गुट ने भी इस मुद्दे पर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हालांकि, उन्होंने हिंसात्मक आंदोलन की बजाय सौम्य तरीका अपनाते हुए परप्रांतीयों को मराठी भाषा सिखाने का संकल्प लिया है।

बीड जिले का सच्चा दर्पणकार दुनिया से विदा हुआ

वरिष्ठ पत्रकार काज़ी हयातुल्ला का निधन

आपातकाल के दौरान तीखे लेखन के चलते 17 दिन की जेल हुई थी

बीड : गेवराई के वरिष्ठ पत्रकार काज़ी हयातुल्ला सैफुल्ला का 5 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। उनके निधन से बीड जिले की पत्रकारिता ने एक सच्चा दर्पणकार खो दिया है।

काज़ी हयातुल्ला का जन्म गेवराई में एक सामान्य परिवार में हुआ था। वे गेवराई तालुका के पहले पत्रकार माने जाते हैं। उन्होंने दैनिक झुंजारनेता, मुंबई से प्रकाशित होने वाले दैनिक इंकलाब, दैनिक उर्दू टाइम्स, औरंगाबाद से प्रकाशित दैनिक आश्कार, दैनिक अजिंठा, दैनिक औरंगाबाद टाइम्स, तथा दैनिक चपांवती पत्र जैसे प्रमुख अखबारों में काम किया।

उनकी रिपोर्टिंग बीड जिले से मुंबई, औरंगाबाद और परभणी के आकाशवाणी केंद्रों से कई बार प्रसारित हुई। देश में आपातकाल के दौरान उन्होंने पुलिस के अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ निर्भीक लेखन किया, जिसके कारण उन्हें 17 दिन जेल में रहना पड़ा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण के आदेश पर उनकी रिहाई हुई थी। काज़ी हयातुल्ला ने कमजोर वर्ग संगठन के अध्यक्ष के रूप में भी उल्लेखनीय कार्य किया। महाराष्ट्र शासन द्वारा विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद वे लगातार 12 वर्षों तक इस पद पर कार्यरत रहे।

उनके निधन की खबर से बीड जिले के पत्रकारिता, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में शोक की लहर फैल गई है। उनके पीछे तीन पुत्र—काज़ी अमान, काज़ी शौकत, काज़ी शकील, दो बेटियां, बहुएं, पोते-पोतियां और एक बड़ा परिवार शोकाकुल है।

आज रविवार सुबह 9 बजे मोमिनपुरा कब्रिस्तान, गेवराई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दैनिक तामीर परिवार काज़ी हयातुल्ला साहब के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है।

वक़्फ़ बिल के खिलाफ जलगांव की मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरीं

अकील खान ब्यावली

जलगांव : जलगांव शहर में वक़्फ़ बिल संशोधन एक्ट और "उम्मीद" के विरोध में मुस्लिम महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध मिनियार समाज महिला सेल के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के खिलाफ जमकर नारेबाज़ी की और 1995 के वक़्फ़ एक्ट को बरकरार रखने की मांग की।

प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने संशोधित बिल की प्रतियां फाड़कर अपना आक्रोश प्रकट किया और जेडीयू, टीडीपी, एसीपी, बीजेपी, शिवसेना, जेडीएस, एलजेपी जैसी पार्टियों और उनके नेताओं की खुलकर आलोचना की, जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है।

"वक़्फ़ और उम्मीद की सच्चाई" विषय पर किया मार्गदर्शन

इस अवसर पर एकता संगठन और जलगांव ज़िला मिनियार समाज के अध्यक्ष फारूक़ शेख ने उपस्थित लोगों को वक़्फ़ एक्ट 1995 और संशोधित "उम्मीद" एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने नए प्रस्तावित कानून के संभावित दुष्परिणामों और उसमें छिपे खतरों को समझाया और भाजपा सरकार द्वारा लाए जा रहे बदलावों पर सवाल खड़े किए।

आलिमा नाज़िया शेख ने किया सरकार की नीतियों का विरोध

मिनियार मोहल्ले के प्रसिद्ध अरबी मदरसे की आलिमा बाजी नाज़िया शेख ने भी इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि 2014 के बाद से सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को कोई वास्तविक लाभ नहीं दिया है। उन्होंने तीन तलाक़, धारा 370, CAA और वक़्फ़ संशोधन जैसे मुद्दों का हवाला देते हुए कहा कि इन फैसलों से मुसलमानों को फायदा नहीं, बल्कि नुकसान ही पहुंचा है।

बाद में, मिनियार मोहल्ला स्थित अरबी मदरसे से बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन में आलिमा नाज़िया शेख, हाजरा फारूक़ शेख, हाजरा सलीम शेख, ज़रीना अब्दुर्रऊफ़, जुबैदा सैयद चाँद, रूबिना शेख इक़बाल, रूबिना अख्तर शेख, शेख़ सफ़िया निसार, तनज़ीना शेख़ इक़बाल, मारिया शेख़ साजिद, सैयदा खदीजा मुख्तार, खदीजा शफ़ी, फ़ातिमा सैयद मुख्तार, मिसबाह शेख़ सादिक़, मिराज शेख़ इक़बाल, नसरीन सैयद फारूक़, क़मरुन्निसा इक़बाल, नादिया शेख़ एजाज़ सहित सैकड़ों महिलाएं शामिल रहीं।

इस विरोध में सैयद चाँद, फारूक़ शेख, एजाज़ शेख, हसन शेख, अब्दुर्रऊफ़, मुजाहिद खान, नजमुद्दीन शेख और चाँद सैक़लगार समेत कई पुरुषों ने भी हिस्सा लिया और मार्गदर्शन किया।

वक़्फ़ बिल का विरोध करने पर मुस्लिम संगठनों ने उद्धव ठाकरे का किया स्वागत

मुंबई : वक़्फ़ (संशोधन) बिल के संसद में पारित होने के बाद ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड समेत विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने इस पर गहरी चिंता जताई है और इस बिल का विरोध करने पर शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रुख का स्वागत किया है।
ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव अल्लामा बुनई नुईम हसनी और अन्य मुस्लिम संगठनों के नेताओं व उलेमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बिल के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह बिल पहली बार अगस्त 2023 में संसद में पेश किया गया था, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के कारण इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को सौंपा गया था। हालांकि, अब जो संस्करण पारित हुआ है, उसमें समिति द्वारा सुझाए गए कई संशोधन शामिल नहीं किए गए हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून का रूप ले लेगा।
वक़्फ़ संपत्तियों में मस्जिदें, मदरसे, शेल्टर होम और मुस्लिम समाज द्वारा दान की गई हजारों एकड़ ज़मीन शामिल होती हैं, जो वक़्फ़ बोर्ड के अधीन होती हैं। मुस्लिम नेताओं के अनुसार, उद्धव ठाकरे ने इस बिल का विरोध कर एक सही और साहसिक कदम उठाया है क्योंकि इसके लागू होने से वक़्फ़ की ज़मीनों का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने इस बिल को वक़्फ़ व्यवस्था को कमजोर करने और उसे निष्प्रभावी बनाने की साज़िश बताया। उनका कहना था कि यह नया बिल, जिसे यूनिफाइड वक़्फ़ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (UW-MEED) बिल कहा गया है, मुसलमानों के लिए किसी भी रूप में लाभकारी नहीं होगा।
इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में मौलाना नोशाद अहमद सिद्दीकी (अध्यक्ष, इमाम-ए-हिंद फाउंडेशन, मुंबई), मौलाना साबित अली नक्शबंदी, डॉ. सैयद अब्दुल कादिर (भिवंडी), डॉ. बदरुल हसन बदर, हाफिज असगर तलोजा, सामाजिक कार्यकर्ता शफीक शेख गुंडी, सूफी इरफान नोमानी (राजस्थान), यूसुफ जमाल शेख आदि शामिल रहे

मंत्रालय में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक 'वॉयस ऑफ मीडिया' की कड़ी निंदा

पत्रकारों को रोकना लोकतंत्र का गला घोंटना है – संदीप काले

शेख अहमद अकबर जालनी

जालना : राज्य सरकार द्वारा मंत्रालय में पत्रकारों के प्रवेश पर लगाए गए नए प्रतिबंध को लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ पर हमला करार दिया गया है। अब तक पत्रकारों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मंत्रालय में प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन गृह विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, अब पत्रकारों को केवल दोपहर 2 बजे के बाद ही मंत्रालय में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

'वॉयस ऑफ मीडिया' के संस्थापक अध्यक्ष संदीप काले ने इस निर्णय को तानाशाही की शुरुआत बताया है और सवाल उठाया है कि सरकार पत्रकारों से डरती क्यों है?

इस संदर्भ में गृह विभाग के डिवीजन अधिकारी डॉ. प्रविण डकले के हस्ताक्षर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब सभी पत्रकारों को मंत्रालय में दोपहर 2 बजे के बाद ही प्रवेश मिलेगा।
संदीप काले ने कहा, "पत्रकारों को रोकना मतलब लोकतंत्र का गला घोंटना है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो सरकार पर निगरानी रखती है। मंत्रालय में पत्रकारों की मौजूदगी से ही प्रशासनिक कार्य, मंत्रियों के निर्णय और आम जनता से जुड़ी जानकारियां सामने आती हैं। ऐसे समय में पत्रकारों को बाहर रखना तानाशाही और खतरनाक कदम है।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर इन्हीं पत्रकारों की पहुंच नहीं होगी, तो फिर पत्रकारिता कौन करेगा और किसके लिए करेगा?"
इस मामले को लेकर संदीप काले ने राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर सरकार ने यह आदेश तत्काल वापस नहीं लिया, तो 'वॉयस ऑफ मीडिया' मंत्रालय के सामने आंदोलन शुरू करेगी।
संदीप काले ने सरकार को सख्त शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, "यह राज्य आम जनता का है, न कि किसी तानाशाही का!"
यदि यह फैसला रद्द नहीं किया गया, तो अंतरराष्ट्रीय पत्रकार संगठन 'वॉयस ऑफ मीडिया' ने पूरे महाराष्ट्र में राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है।

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 25-26 घोषित : 60 युवाओं का होगा चयन

मुंबई : राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की संकल्पना पर आधारित "मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 2025-26" की घोषणा कर दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के युवाओं को प्रशासन के साथ काम करने का अनुभव प्रदान करना और उनकी ज्ञान व अनुभव की सीमाओं को विस्तृत करना है। युवाओं की नवोन्मेषी सोच, तकनीकी रुचि और उत्साह का लाभ प्रशासन को मिल सके, इस दृष्टि से यह कार्यक्रम बनाया गया है। इस वर्ष 60 फेलोज़ का चयन किया जाएगा।
इस संबंध में पात्रता मानदंड, नियुक्ति की शर्तें, शैक्षणिक कार्यक्रम की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन से संबंधित शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
यह कार्यक्रम फडणवीस के पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था और सफलतापूर्वक चलाया गया था। वर्ष 2023-24 में भी इसे सफलतापूर्वक लागू किया गया था। अब यह 2025-26 के लिए घोषित किया गया है। इसका कार्यान्वयन नियोजन विभाग के अर्थ और सांख्यिकी संचालनालय द्वारा किया जाएगा।
फेलोज़ चयन की पात्रता
शर्तें इस प्रकार हैं:
राष्ट्रीयता: उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
शैक्षणिक योग्यता: किसी भी विषय में स्नातक (कम से कम 60% अंकों के साथ)।
अनुभव: न्यूनतम 1 वर्ष का पूर्णकालिक कार्यानुभव अनिवार्य। व्यवसायिक पाठ्यक्रम कर रहे छात्रों के लिए 1 वर्ष की पूर्णकालिक इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप/आर्टिकलशिप भी मान्य। पूर्णकालिक स्वरोजगार अथवा उद्यमिता का अनुभव भी मान्य होगा (स्वप्रमाणन पत्र आवश्यक)।
भाषा योग्यता: मराठी लिखने, पढ़ने और बोलने में सक्षम होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी का भी पर्याप्त ज्ञान आवश्यक है।
तकनीकी दक्षता: कंप्यूटर और इंटरनेट का ज्ञान आवश्यक है।
आयु सीमा: आवेदन की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की आयु 21 से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदन शुल्क: 500 रुपये।
फेलोज़ की संख्या: कुल 60, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं होंगी। यदि पर्याप्त महिला उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो पुरुषों का चयन किया जाएगा।
फेलोज़ को शासकीय सेवा के गट-अ (Class-A) अधिकारियों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होगा। आवेदन ऑनलाइन पद्धति से करना होगा और आधार कार्ड या अन्य पहचान-पत्र अनिवार्य होगा। परीक्षा शुल्क भरने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा देनी होगी। इसकी कार्यप्रणाली संचालनालय की वेबसाइट mahades.maharashtra.gov.in पर घोषित की जाएगी।
पहले फेलोशिप कर चुके उम्मीदवार दोबारा इसके लिए पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन में यह स्पष्ट करना होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तीर्ण हुए शीर्ष 210 उम्मीदवारों को किसी एक निर्धारित विषय पर निबंध ऑनलाइन जमा करना होगा और फिर इन्हें साक्षात्कार के लिए मुंबई बुलाया जाएगा।

वक्फ संशोधन विधेयक की मंजूरी

धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला

लेखक
जावेद जमालुद्दीन
javedjamalud-din@gmail.com

नई दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। लोकसभा में लगभग 12 घंटे की बहस के बाद यह विधेयक 288 मतों से पारित हुआ, जबकि इसके विरोध में 232 मत पड़े। वहीं राज्यसभा में करीब 14 घंटे की लंबी चर्चा के बाद 128 मतों से यह विधेयक पास किया गया, जबकि केवल 95 सदस्यों ने इसका विरोध किया। इस विधेयक की मंजूरी के लिए भाजपा सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ी और अपने सहयोगी दलों को मनाने के लिए वादे व यकीन दिलाने पड़े, लेकिन अंततः देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी के साथ धोखा किया गया।
भाजपा सरकार की बड़ी "सफलता" और विपक्ष का विरोध
केंद्र की भाजपा सरकार इस संशोधन विधेयक को अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है और इसे लेकर उत्साहित नजर आ रही है। संसद में पारित होने के बाद अब यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद यह कानून का रूप ले लेगा। इस पर राष्ट्रपति द्वारा रोक लगाए जाने की संभावना बेहद कम है। सरकार चाहती है कि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो और इसे तुरंत अधिसूचित कर लागू कर दिया जाए। हालांकि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और संगठनों की ओर से विरोध और कानूनी कार्रवाई की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
कांग्रेस का ऐलान – सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी चुनौती
कांग्रेस पार्टी ने विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का ऐलान किया है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर कहा कि कांग्रेस जल्द ही इस विधेयक की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। पार्टी का दावा है कि यह विधेयक संविधान की मूल संरचना पर हमला है और देश को धर्म के आधार पर बांटने की एक कोशिश है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा में विधेयक के खिलाफ 232 वोट इस बात का प्रमाण हैं कि इसमें कई खामियां हैं और यह अल्पसंख्यकों को डराने और कमजोर करने की साजिश है।
सांसद मोहम्मद जावेद की सुप्रीम कोर्ट में याचिका
किशनगंज (बिहार) से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की विभिन्न धाराओं को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता), अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यकों के अधिकार), और अनुच्छेद 300A (सम्पत्ति का अधिकार) का उल्लंघन करार दिया है।
अल्पसंख्यक नेताओं और संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया
देश की प्रमुख मुस्लिम धार्मिक व सामाजिक संगठन का मानना है कि यह विधेयक सरकार की दुर्भावनापूर्ण नीति का हिस्सा है, जो धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देता है। मुस्लिम समुदाय को वक्फ संपत्तियों के प्रशासनिक अधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि अन्य धर्मों के अनुयायियों को उनके धार्मिक स्थलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है।
संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने का अधिकार प्राप्त है। यह विधेयक राज्य को वक्फ संपत्तियों में अत्यधिक हस्तक्षेप करने का अवसर देता है, जो कि न केवल असंवैधानिक है बल्कि वक्फ की मौलिक अवधारणा के खिलाफ भी है।
वक्फ अधिनियम 1995 और 2013 – समानता के आधार पर बने कानून
पूर्व में बने वक्फ अधिनियमों में मुस्लिम समुदाय को वही अधिकार प्रदान किए गए थे जो अन्य धार्मिक समुदायों को उनके धार्मिक स्थलों के लिए दिए गए हैं। संसद में इस विधेयक के पक्ष में दिए गए तर्क भ्रामक और तथ्यहीन हैं।
कुछ सांसदों द्वारा वक्फ बोर्ड की तुलना चैरिटी कमिश्नर से करना भी सरासर गलत है। कई राज्यों में हिन्दू और सिख धर्मस्थलों के लिए अलग कानून मौजूद हैं। ऐसे में जबरन वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव करके उसमें गैर-मुस्लिमों को शामिल करना मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कमजोर करने की साजिश मानी जा रही है।
राजनीतिक दलों की उदासीनता और मुसलमानों का मोहभंग
वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन ने मुस्लिम समुदाय में राजनीतिक असंतोष को जन्म दिया है। जेडीयू (जनता दल यूनाइटेड) के कई अल्पसंख्यक नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इस्तीफा दे दिया और कहा कि पार्टी ने अपनी सेकुलर छवि को दागदार किया है। इससे पहले मोहम्मद कासिम अंसारी और मोहम्मद शाहनवाज़ मलिक भी जेडीयू छोड़ चुके हैं।
हालांकि, पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा इन इस्तीफों को महत्वहीन बताया जा रहा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा काम किया है, चाहे वो मंदिरों और कब्रिस्तानों की बाड़बंदी हो या मुस्लिम संस्थाओं का पुनर्निर्माण।
विवादों के बीच एक वर्ग का समर्थन भी
वहीं एक स्वयंभू संगठन 'ऑल इंडिया मुस्लिम जमात' के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन रिज़वी ने वक्फ विधेयक का समर्थन करते हुए इसे मुस्लिमों के लिए लाभकारी बताया है। उनका दावा है कि इससे शिक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक से धार्मिक स्थलों को कोई खतरा नहीं है और मुस्लिमों को गुमराह नहीं होना चाहिए।
निष्कर्ष: एक सवाल – अधिकार बचेंगे या छीने जाएंगे?
यह विधेयक अगर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनता है, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। यह केवल वक्फ संपत्तियों की निगरानी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह मुस्लिम समुदाय को उनके धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक संस्थानों से धीरे-धीरे बेदखल करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह विधेयक न केवल धार्मिक स्वतंत्रता बल्कि संवैधानिक मूल्यों पर भी हमला है। हालांकि कुछ स्वघोषित नेताओं द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा है, परंतु सच यही है कि यह विधेयक मुस्लिमों को उनके अधिकारों से वंचित करने की सुनियोजित कोशिश है। अब आवश्यकता इस बात की है कि मुसलमान और उनकी क़यादत अपने अंदर भी झांके और आपसी एकता व रणनीति के साथ इस जाबराना क़ानून के खिलाफ कानूनी और लोकतांत्रिक संघर्ष तेज करें।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com